सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, [illegible] दिसम्बर, 2003 ई0

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 1086/कृषि/03/5(26)2003

देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

बीज अधिनियम 1966 (अधिनियम संख्या–54 सन् 1966) की धारा (1) के अधीन बनाये गये बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम–12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित पदाधिकारियों को, जो बीज नियमावली 1968 के नियम–22 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता रखते हों, को राज्य स्तरीय बीज निरीक्षक दल का सदस्य घोषित करते हैं। इस दल का अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य होगा।

(1) कृषि विभाग में निदेशालय/मंडल स्तर पर कार्यरत संयुक्त कृषि निदेशक स्तर का अधिकारी– 1 (एक)

(2) कृषि विभाग में निदेशालय/मंडल/जिला स्तर पर कार्यरत मुख्य कृषि अधिकारी के स्तर का अधिकारी– 1 (एक)

(3) कृषि विभाग में निदेशालय/मंडल/जिला स्तर पर कार्यरत सहायक निदेशक स्तर का अधिकारी– 1(एक)

(4) कृषि विभाग में निदेशालय/मंडल/जिला स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 के स्तर का कर्मी – 1 एक

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

सचिव